न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर

एफ.एस. प्रकरण संख्या– 03/2017

प्रार्थी :–
सरकार जरिये राजेश टिंकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–
श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री केसरी मल
मै0 महेन्द्र कुमार नरेश कुमार ,
स्टेट बैंक रोड, शिव मंदिर के पास, शेरगढ़, जोधपुर।
निवासी रिलांयस टावर के पास, शेरगढ जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (ZF) (C) (i) एवं धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एंव धारा 51 के तहत।

निर्णय **दिनांक :–30.05.2018**

मुझे खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी नियुक्त किया है जिसमें क्रम संख्या 42 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

मुझे आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एंव निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2011 के द्वारा कार्यक्षेत्र संबधित जिलों के समस्त क्षेत्र अधिन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये जोन–जोधपुर, अधिसूचित किया गया, जिसके अनुसार समस्त जोन–जोधपुर मेरा कार्य क्षैत्र है। (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

दिनांक 14.08.2016 को 04:00 पी.एम. मैं राजेश टिंकर, बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये जोन–जोधपुर गश्त चैंकिग मैसर्स– महेन्द्र कुमार नरेश कुमार, स्टेट बैंक रोड, शिव मंदिर के पास, शेरगढ जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय फर्म पर विक्रेता की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री केसरी मल निवासी रिलायंस टावर के पास, शेरगढ जोधपुर उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी एक स्टील के पिपे में बेचने हेतु अपने कब्जे मे रखें हुए पाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया तो मौके पर प्रस्तुत नहीं किया तथा आधार कार्ड स्वंय की आईडी के रूप में पेश किया एवं छायाप्रतियां संलग्न परिवाद है।

फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म में स्टील के पीपे में लगभग 9 किलोग्राम घी आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय वास्ते था इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिती में विक्रेता को इसकी सुचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने हेतु खरीद कर रहा हूॅ। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। जो मूल सलंग्न है ।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 304/– **(अक्षरे तीन सौ चार रूपये मात्र)** नगद देकर घी के 800 ग्राम एक स्टील की भगौनी में खरीदा एंव

रूपयों की खरीद रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

यह कि विक्रेता व गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा घी 800 ग्राम अच्छी तरह से हिला मिलाकर चार साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में डाला और एयर टाइट बंद किया। इन चारों भागों के लिए चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एडी–440** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मेने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों भागों को अलग–अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एडी–440** हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एंव उप निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें गोलाई मे गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एडी–440** सील चपडी किया उसका मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की एंव मौके पर मौका फर्द तैयार की तथा मौका फर्द पर स्वंय ने, विक्रेता ने व गवाहान ने हस्ताक्षर किये जो असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा मैंरे स्वयं के द्वारा दिनांक 16.08.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एडी–440 नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग अभिहित अधिकारी एंव उप निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर को दिनांक 16.08.2016 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ति रसीद दोनो अलग–अलग असल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी उप निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर के पत्र क्रमांक 541–42 दिनांक 21.09.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 903/एक्ट/2016/928 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी रिचार्ट वेल्यू मानक से कम होने के कारण नमूना **सबस्टेण्डर्ड (Substandard),** होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है ।

श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री केसरी मल को फर्म के मालिक/भागीदारों की सूचना हेतु दिनांक 15.12.2016 को जिसका जवाब दिनांक 21.12.2016 को प्राप्त हुआ है । पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न है।

श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री केसरीमल मै0 महेन्द्र कुमार नरेश कुमार , स्टेट बैंक रोड, शिव मंदिर के पास, भोरगढ़, जोधपुर। निवासी रिलांयस टावर के पास, शेरगढ जोधपुर निवासी 59 हनवंत बी, बीजेएस कॉलोनी जोधपुर, 342001 ने एफ एस एस ए की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लधंन किया है, जो कि एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः निवेदन है कि बाद तहकीकात अभियुक्तण को जुर्माना करने की कृपा करें ताकि सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ के विक्रय को रोका जा सके।

अप्रार्थी महेन्द्र कुमार ने लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि महेन्द्र कुमार नरेश कुमार के नाम से शेरगढ जिला जोधपुर में किराणा का छोटा–सा व्यापार है। वह अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दिनांक 14.08.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से घी का नमूना लिया था, जो जाँच हेतु भेजा गया तथा उक्त अमानक स्तर का पाया गया। उक्त घी मेरे द्वारा बाजार से जरिये बिल खरीद किया था परन्तु बिल कही खो गया। उक्त घी में मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। अतः मुझे दोष मुक्त किया जावें।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ सलग्न दस्तावेज खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एल एस/903/एक्ट/2016/928 दिनांक 23.08.2016 अप्रार्थी द्वारा प्राप्त घी के सैम्पल का नमूना एडी–440 जाँच रिपोर्ट में सबस्टैण्र्ड होना पाया गया। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री केसरीमल, मै0 महेन्द्र कुमार नरेश कुमार, स्टेट बैंक रोड, शिव मंदिर के पास, शेरगढ़, जोधपुर। निवासी रिलांयस टावर के पास, शेरगढ जोधपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत निम्नस्तर पदार्थ बेचने के दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी महेन्द्रकुमार पुत्र केसरीमल द्वारा खाद्य मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) का उल्लंघन करने का अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी महेन्द्रकुमार पुत्र केसरीमल पर राशि रूपये 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र की शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी महेन्द्रकुमार पुत्र केसरीमल उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के भीतर निर्धारित मद में जमा करवाकर चालान की कॉपी प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम–प्रथम/2018/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री केसरीमल मै0 महेन्द्र कुमार नरेश कुमार , स्टेट बैंक रोड, शिव मंदिर के पास, शेरगढ़, जोधपुर। निवासी रिलांयस टावर के पास, शेरगढ जोधपुर निवासी 59 हनवंत बी, बीजेएस कॉलोनी जोधपुर, 342001

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।